

## अंचल अधिकारी का कार्यालय, घनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबदी सद्व अग्रिमेत्र संख्या ५२ /२०१४-१७  
विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जोच एवं कारंबाई से  
सम्बंधित।

अभियुक्ति

दिनांक	आदेश फलक	दिनांक—13.05.2016
२५।३।१९	झारखण्ड सरकार के आपाक-२०७४/रा० दिनांक—13.05.2016	
	<p>सहपठित—श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-३-खा० म० निति-११९/८५/२३०८/रा० दिनांक ०३.०९.१९८५ एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिषत्र संख्या-९१४/रा० दिनांक ०९.१२.१९९८ में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबदियों की जोच प्रारंभ की गयी। जाच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है—</p> <p>मौजा—अमाधाटा मौजा न०-०९ खाता न० २८ प्लॉट न० १३८ रकवा ०५ कटठा की भूमि जो गैरमजरुआ खास, अनाबाद विहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबदी उस मौजा के पजी-॥। के जिल्द संख्या ०२ के पृष्ठ संख्या २४३ पर जमाबदी रेयत श्री/ श्रीमति रजीत विश्वकर्मा के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जोच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमाबदी किना सहम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जोच किया जाना वाचनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अत— उपरोक्त जोच प्रतिवेदन पर अंचल-निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करे।</p> <p>अग्रिमेत्र दिनांक २५।३।१९ को रखे।</p> <p style="text-align: right;">२५।३।१९ अंचल अधिकारी, घनबाद।</p>	

अपराधित अवल निरीक्षक रो मत्वा / प्रतिवेदन अपार्ट है।  
अग्निलेख दिनांक २०/५/१९ को रखे।

अचल अधिकारी  
घनवाद।

१०/५/१९

अग्निलेख उपराधित। अधोहस्ताक्षरी निरीक्षन कार्य में वास्ता रहने के कारण अग्निलेख की सुनवाई नहीं हो सका।  
अग्निलेख दिनांक २०/५/१९ को रखे।

अचल अधिकारी  
घनवाद।

१०/६/१९

अग्निलेख उपराधित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मत्वा सहित प्राप्त।  
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विषयी को नोटिस निर्गत करे। अग्निलेख दिनांक  
२०/६/१९ को रखे।

अचल अधिकारी  
घनवाद।

२०/६/२०

अग्निलेख उपराधित। अग्निलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि गाँजा  
ठालाष्ठार मौजा न० ७१ खाता ७४ लाट  
न० १३४ रकवा ०५ एकड़ी भूमि से संबंधित है। आवेदित  
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमावदी रेखा  
के खोज वीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का  
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसग हेतु नोटिस की प्रति सालग्न)। आवेदित  
भूमि दाखिल खारिज केस न० १०२ (१) १५१५ के अनुसार कागम है।  
तत्कालीन अचल अधिकारी, घनवाद द्वारा उक्त पजी को सदेहास्पद माना गया  
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमावदी को रद्द  
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया।

अत जांच प्रतिवेदन के आलोक में जमावदी रद्द हेतु अग्निलेख भूमि  
सुधार उपसमाहर्ता घनवाद को भेजे।

लेखापित एव संशोधत।

२०/६/२०

अचल अधिकारी,  
घनवाद।

अचल अधिकारी  
घनवाद।